20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(215)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्र. /2017
I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा/2017/3444

निगरानीकर्ता –1. अयोध्या प्रसाद सोनी पिता शंकर लाल सोनी उम्र 62 वर्ष निवासी– स्टेशन रोड परासिया तह. परासिया जिला– छिन्दवाड़ा

(421)

2. दीना सोनी पिता धन्ना लाल सोनी उम्र 67 वर्ष
3. सुरेन्द्र पिता दद्दूलाल सोनी उम्र–58 वर्ष
4. तीरथ प्रसाद पिता दद्दूलाल सोनी उम्र– 27 वर्ष
5. दीपक पिता– भगवान सोनी उम्र 42 वर्ष
6. श्रीमती सरोज पति जगदीश सोनी उम्र 52 वर्ष
7. श्रीमती गीता पति बुद्धराज सोनी उम्र 60 वर्ष
8. चन्दूलाल पिता दुर्गा प्रसाद सोनी उम्र 61 वर्ष
9. सुधीर पिता हेमराज सोनी उम्र 30 वर्ष
10. मोनू पिता हेमराज सोनी उम्र 28 वर्ष
11. गुलाब चंद वल्द बिहारी सोनी उम्र 72 वर्ष सभी निगरानीकर्ता कं. 2 से 11 तक निवासी– छोटी बाजार कोष्टीपुरा पटेल आखाड़ा के पास तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

आदित्य शर्मा
2482
12 SEP 2017

विरूद्ध

प्रत्यर्थी – म.प्र. शासन

निगरानी याचिका अंतगर्त धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

10 SEP 2017

NOTARY RAMDAS SHARMA JABALPUR (M.P.)

निगरानीकर्तागण सविनय निवेदन करते है कि

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा, के राजस्व प्रकरण कं. 23/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27/2/2016 से एवं नजूल अधिकारी छिन्दवाड़ा के राजस्व प्रकरण कमांक 02 अ–20 (3)/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16/03/2015 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

एक / निगरानी / छिंदवाडा / भूरा / 2017 / 3444

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री आदित्य शर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला छिंदवाडा के प्रकरण कमांक 23 / बी–121 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त जबलपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29 / 04 / 19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29 / 4 / 19 **अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर**	